

कुलसचिव

REGISTRAR



0542 – 2222689 (O)

0542 – 2223099 (R)

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,

वाराणसी-२२१००२

MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH,
VARANASI-221002

पत्रांक:- कु0स0-2सी समिअ/ 2891 / (शोध प्रवेश परीक्षा-2009-10)/2014

दिनांक :- २८ मार्च, 2016

सेवा में,

प्राचार्य,

समस्त राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालय,

बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, सं0र0न0भदोही, चन्दौली एवं वाराणसी।

विषय:- शोध निर्देशक बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0शासन द्वारा राज्य विश्वविद्यालय में शोध हेतु शोध अध्यादेश का माडल ड्राफ्ट विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया गया था। माडल ड्राफ्ट आंशिक संशोधन के साथ विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् में स्वीकार किया गया। उक्त माडल ड्राफ्ट के बिन्दु संख्या- 8.01 एवं 8.02 के अन्तर्गत शोध निर्देशन हेतु अधोलिखित अर्हता निर्धारित है-

Eligibility Criteria and Allocation Of Supervisor

8.01- The university shall lay down and decide on annual basis, a predetermined and manageable number of Ph.D. students depending on the number of the available eligible Faculty Supervisors. A Supervisor shall not exceed the number of scholars mentioned in ordinance 2-01.

8.02- Regular whole-time teachers of the University in the subject concerned having atleast one research publication or two research papers published in referred journals and periodicals to their credit and holding Ph.D. degree, with-

(a) at least five year of Post Graduate teaching experience.

Or

(b) at least five year of Post Ph.D. experience as research scientist in a research organization recognized as such by the University Grant Commission, subject to the condition that number of registered scholar shall not exceed four for a professor level scientist, three for an Associate Professor level Scientist and two for Assistant Professor level Scientist, and professor of Eminence shall be approved as supervisors to guide Ph.D. thesis:

Provided that a teacher of Post Graduate Department in affiliated/associated/constituent college of the University having eligibilities mentioned herein above, may be approved as supervisor:

Provided also that a retired teacher of the University or it's affiliated/associated/constituent college, may be permitted to remain as supervisor of his/her Ph.D. student during the remaining tenure of Ph.D. studentship of the student(s) already registered with him/her. If the research scholar is unable to submit the thesis within the regular studentship period, the change of supervisor may be considers as per provisions:

Provided further that in very special circumstances the retired teachers of the Universities and affiliated /associated colleges upto the age of 65 years may also be approved as supervisors **subject to the decision of the Vice-chancellor through RDC.**

कृपया शोध निर्देशक हेतु उल्लिखित उक्त अर्हता को धारित करने वाले महाविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के आवेदन पत्र, आवश्यक अभिलेखों के साथ संलग्न प्रारूप पर विलम्बतम् 15 अप्रैल, 2016 तक अग्रसारणोपरान्त विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,



कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा०कुलपति जी- सूचनार्थ।

/
कुलसचिव

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

विश्वविद्यालय की पी0एच-डी0 उपाधि हेतु अनुसंधान कार्य के निर्देशक(सुपरवाइजर) के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

(इस प्रपत्र को भरकर भेजें। यह आवेदन करने से पूर्व निदेशकत्व हेतु निर्धारित अर्हताओं का विवरण देख लें)

1. अध्यापक का पूरा नाम:-

2. पूरा पता:-

3. महाविद्यालय का नाम(जहाँ कार्यरत हैं):-

4. अध्यापक को पी0एच-डी0 / डी0फिल0 उपाधि के विवरण:-

विश्वविद्यालय जहाँ से उक्त उपाधि प्राप्त हो	विषय	शोध प्रबन्ध का शीर्षक	वर्ष

नोट:- पी0एच-डी0 / डी0फिल0 उपाधि पत्र को सत्यापित चित्र प्रतिलिपि संलग्न करें।

5. अध्यापक के उक्त विषय में अध्यापन अनुभव का विवरण:-

शिक्षण संस्था जहाँ कार्य किया	कब से	कब तक	कर रहे हैं
स्नातकोत्तर कक्षाएं			

6. स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित उक्त विषय स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त है अथवा अनुदानित योजनान्तर्गत पूर्ण विवरण दें :-

7. अध्यापक का किसी अनुसंधान संस्थान/परियोजना(रिसर्च इन्स्टीट्यूट/प्रोजेक्ट) में कार्य अनुभव का विवरण-

संस्था/परियोजना का नाम	पद	कब से	कब तक

8. अध्यापक के प्रकाशित अनुसंधान पत्रों के विवरण (उप पत्रों के उल्लिखित न किया जाय अध्यापक जिनके सह लेखक को-आथर हो)।

पत्र का शीर्षक	शोध पत्रिका जिसमें प्रकाशित हुआ हो

नोट:- प्रत्येक पत्र की एक-एक प्रति संलग्न की जाय। यदि यहाँ स्थान कम हो तो विवरण अलग कागज पर संलग्न करें।

9. क्या इस विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यापक की नियुक्ति से पूर्व या इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता से पूर्व उक्त अध्यापक किसी अन्य विश्वविद्यालय की पी0एच-डी0/डी0फिल0 उपाधि हेतु अनुसंधान निदेशक के रूप में अनुमोदित थे ? यदि हाँ तो अनुमोदन पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
10. अन्य विवरण यदि कोई हो (जिन्हें प्रस्तुत करना चाहे।)

प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे विभाग में अनुसंधान हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है और अपने निर्देशन में अनुसंधान कार्यार्थ उनका प्रयोग/उपयोग मुझे अनुमन्य होगा।

दिनांक

अध्यापक के हस्ताक्षर

सम्बन्धित प्रधानाचार्य/निदेशक(जिनके नियंत्रण में अध्यापक सम्प्रति सेवारत हों) का अग्रसारण नोट।

संस्तुति सहित अग्रेषित उपर्युक्त विवरण अभिलेखों के आधार पर सही पाये गये हैं(अनुसंधान कार्य हेतु आवश्यक सुविधाएं इस महाविद्यालय के सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध है तथा उनका प्रयोग/उपयोग कराये जाने में कोई आपत्ति न होगी।)

दिनांक

प्राचार्य के हस्ताक्षर
एवं मुहर